राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4(1) लेखा / बजट प्लान / 11 / दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
पाली / धौलपुर / जयपुर–प्रथम।

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47–48 की अनुपालना मे निशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु संविदा पर कर्मचारी रखने हेतु बजट आवंटन।

संदर्भ :– उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग की स्वीकृति क्रमांक : प17(14)चिस्वा/ ग्रुप–2 / 2009 दिनांक 13.12.2011

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित स्वीकृति के क्रम मे वर्ष 2011–12 मे मा0 मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47–48 की अनुपालना मे राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों मे निशुल्क दवा वितरण केन्द्रों के संचालन हेतु कर्मचारी रखने के लिये निम्न निर्देशों के अनुसार संविदा सेवा एवं कार्यालय व्यय मे पूर्व मे आवंटित बजट के अलावा कुल राशि रू. 22,71,600/– (अक्षरे राशि रू. बाईस लाख इकहत्तर हजार छः सौ मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है :–

S. No.	Name of CMHO's	2210-03-104-01-0 CHC (PLan)					
		41-Contract Service					05-OE
		No. of Pharmacist	Amount	No. of Helper	Amount	Total Addl. Allotment	
1	Pali	5	165000	5	138000	303000	27000
2	Dholpur	3	99000	5	138000	237000	16200
3	Jaipur-I	13	429000	12	331200	760200	70200
	Total	**21**	**693000**	**22**	**607200**	**1300200**	**113400**

S. No.	Name of CMHO's	2210-01-110-03-06 DAP (PLan)					
		41-Contract Service					05-OE
		No. of Pharmacist	Amount	No. of Helper	Amount	Total Addl. Allotment	
1	Jaipur-I	13	429000	13	358800	787800	70200
	Total	**13**	**429000**	**13**	**358800**	**787800**	**70200**

इस बजट का उपयोग मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से फार्मासिस्ट एवं सहायक (Helper) को भुगतान करने हेतु प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन एवं इस निदेशालय द्वारा समय–समय पर प्रसारित निर्देशों के तहत किया जावेगा।

निर्देश :–

1. राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एक पंजीकृत संस्था होने के कारण संविदा नियुक्तियों पर प्रतिबंध संबंधी परिपत्र दिनांक 17.06.2011 राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी पर प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते हैं। अतः इस संबंध मे वित्त विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का शिथलन अपेक्षित नही है।
2. जिन दवा वितरण केन्द्रो के संचालन हेतु किन्ही कारणों से सहकारी संस्थाऐं (CONFED) उपलब्ध नहीं है, वहां दवा वितरण केन्द्र राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी के माध्यम से संचालित करने पर वित्त विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है।
3. संविदा पर मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से रखे गये संविदा कार्मिकों को नियमित रूप से नियुक्तियां होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक ही भुगतान देय होगा तत्पश्चात शेष रही राशि को समर्पित करना होगा।
4. आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार पुनः आवंटन भी आईएफएमएस की मैपिंग अनुसार किया जा सकता है।
5. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे तथा बजट आवंटन से अधिक अवधि के लिये बिना अग्रिम स्वीकृति संविदा पर कार्मिकों को नहीं रखा जाना है।
6. प्रत्येक सीएचसी / सिटी डिस्पेंसरी हेतु 1 फार्मासिस्ट रू. 5500/– की दर से 6 माह के लिये इसी प्रकार प्रति सीएचसी / सिटी डिस्पेंसरी 1 सहायक (Helper) रू. 4600/– की दर से 6 माह के लिये 41–संविदा सेवायें मे राशि आवंटित की गई है उक्त व्यवस्था मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से करते हुये भुगतान भी मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किया जायेगा।
7. प्रत्येक सीएचसी / सिटी डिस्पेंसरी 1 फार्मासिस्ट हेतु रू. 900/– प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिये 05–कार्यालय व्यय मे कार्यालय संचालन हेतु विविध व्यय के लिये राशि आवंटित की गई है उक्त व्यवस्था मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से करते हुये भुगतान भी मेडीकल रिलीफ सोसायटी के माध्यम से किया जायेगा।
8. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
9. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा / बीएनपी / 11 / 453 दिनांक 10.05.11 मे दिये गये निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करें।
10. **मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, जयपुर–प्रथम ने निर्धारित संख्या से अधिक फार्मासिस्ट एवं सहायक इस कार्यालय की बिना पूर्व अनुमति के अपने स्तर पर नियुक्त किये हैं जिनके लिये उपरोक्त अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर बजट आवंटित किया गया है। भविष्य मे इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त किये बगैर फार्मासिस्ट एवं सहायक नियुक्त करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा भुगतान देय नही होगा।**

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

(2)

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 4834-38 दिनांक : 15.12.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/(राजपत्रित), मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय कृपया इसे विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।